

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 966 / 14

संस्थापन दिनांक : 03.11.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-अमन पुत्र भारत जमादार उम्र 18 वर्ष निवासी
इटायली गेट वार्ड नं0 3 गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 504, के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.09.14 को 09:50 बजे सचिन के घर के सामने सचिन अ0सा02 को खण्डे पर गिराकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.14 को फरियादी सचिन अ0सा02 अपने घर के सामने खड़ा था तब आरोपी अमन गाली गलौच कर रहा था जब उसने गाली देने से मना किया तो अमन ने उसके लात मारी और धक्का मुक्की की जिससे वह खण्डा पर गिर पड़ा और उसके सिर में पीछे चोट आई। तत्पश्चात फरियादी सचिन अ0सा02 ने अदम चैक प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर मेडीकल उपरांत थाना गोहद में अप0क0 326/14 की एफ.आई. आर. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी दिनांक 21.09.14 को 09:50 बजे सचिन के घर के सामने सचिन अ0सा02 को खण्डे पर गिराकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी सचिन अ0सा02 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व आरोपी अमन शराब पीकर गाली गलौच करते हुए उसके घर के सामने से निकल रहा था उसने समझाया तब वह भड़क गया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर वह आरोपी की शिकायत करने थाने पर गया था। अदम चैक प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आयी थी। नक्शा मौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने उसे धक्का देकर खण्डे पर गिरा दिया था जिससे उसके सिर पर चोट आई थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः फरियादी सचिन अ0सा02 ने आरोपी द्वारा उपहति पहुंचाये जाने के तथ्य से इंकार किया है।
6. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा01 का कथन है कि वह दिनांक 21.09.14 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक नं0 70 नीरज थाना गोहद द्वारा लाये जाने पर आहत सचिन पुत्र राधेश्याम का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के एक कटा घाव सिर में ऑक्सीपिटल भाग में था जिसका आकार 3गुणा0.5गुणा0.5 से.मी. था। आहत गर्दन में दर्द की शिकायत कर रहा था परन्तु बाहर कोई चोट नहीं दिखाई दे रही थी। उसके मतानुसार आहत के आई चोट कठोर व धारदार हथियार से शून्य से 6 इण्चे के अंदर आना प्रतीत होती थी व समान प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. अतः प्रत्यक्ष साक्षी सचिन अ0सा02 ने स्वयं आहत होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और आरोपी द्वारा खण्डे पर गिराये जाने के तथ्य से भी इंकार किया है। चिकित्सक डॉ0 धीरज अ0सा01 ने मात्र संपुष्टिकारक साक्ष्य दी है। लेकिन प्रत्यक्ष साक्षी सचिन अ0सा02 ने भी उपहति के तथ्य से इंकार किया है। अतः प्रत्यक्ष आहत साक्षी सचिन अ0सा02 द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 21.09.14 को 09:50 बजे सचिन के घर के सामने सचिन अ0सा02 को खण्डे पर गिराकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपी को धारा 324 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0